

संख्या- 1180 / 15-7-08-16(39) / 2008

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुबान

विषय :- नोबेल सीनियर सेकेण्डरी राष्ट्रीय विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली रो संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त राष्ट्रीय विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली रो राष्ट्रद्वारा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रिया के अधीन आपत्ति नहीं है-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति के बेगावी दलों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उप्रायमाध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संख्या द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ति में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्यूकेशन नईदिल्ली/कौसिल फार दि इण्डियन स्कूल रार्टफिकेट इंजिनियरेशन नईदिल्ली रो प्राप्त होती है, तो उस परिषदा रो संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उपर्युक्त माध्यमिक विकास परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वयं समाप्त हो जायेगे।
- (5) संख्या के ऐसिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भल्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भल्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

S.Khatoum

नोबेल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल समिति
दिलवारनगर (गाजीपुर)

मंत्री/पर्वधक

N.O.C.



-2-

Dildar
22/06/2021
Principal
Noble Senior Secondary School
Dildarnagar

- (7) सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था सुनका पालन करेगी ।
 (8) विद्यालय का रिकाउ नियोजित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
 (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2— उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उप राचिय ।

प्र० संख्या एवं दिनांक तर्दैत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं वायश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
 2— मण्डलीय संघुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
 3— जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर ।
 4— निरीक्षक, आग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
 5— प्रबंधक, नोबल सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, दिलदारनगर, गाजीपुर ।
 6— गार्ड तुका ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप राचिय ।

S.Khatoon
नोबल सिनीयर सेकेन्डरी स्कूल समिति
दिलदारनगर (गाजीपुर)
मंत्री/प्रबंधक

Principal
Noble Senior Secondary School
Dildarnagar

